

फर्द अहकाम

(नियम-28)

अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

उत्तरी रतां vs दक्षिणी रतां

मुकदमा नं.-15 /2014

हुकम या कार्यवाही इतिशित्त जज

नाम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।

फावली का अवलोकन किया। प्रकारक वर्ष 2014 से पेंडिंग चल रही है। तलबी लेना मेफ है एवं तहसीलदार से रिपोर्ट भी अप्राप्त है। अह: तहसीलदार (शानदेशी) को हिदायत दी गयी है कि आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वरील प्रार्थी को on cost पर अन्तिम अवसर दिया जाता है कि आकलन Revenue Court manual एवं CPC के प्रावधान अनुसार तलबी को पेश कर तामिल करावे। फावली आइन्दा वास्ते तलबी एवं तहसीलदार मौक रिपोर्ट दिनांक 23/02/2014 को पेश हो।

[Signature]
 एस.डी.एम.
 मुकाम जायल

23/02/2014

फावली प्रस्तुत। कुलाम फरीकन उपस्थित। तहसीलदार जायल से मौक रिपोर्ट प्राप्त हुई। शानिल मिलल मिमा गणा। अप्रार्थी सं. 1, 5 से 8, 10, 19, 21, 26, 34, 40 व 41 की ओर से वरील मुकेश बिडिसार ने अषाढ प्रार्थना-पर भ्र प्रारम्भिक आपनिघा प्रस्तुत मिमा प्रिसी नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। तहसीलदार मौक रिपोर्ट अवलोकन किया। मौक रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता मरडिग सडक की उपलब्धता का स्पष्ट उल्लेख आया है। फावली स्वकी से अनाक्षक रूप से लम्बित चल रही है जखदि मौके पर रास्ते की आत्मनिक अवस्था


लगातः - सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.)
 मुकाम जायल

ही नहीं रही। अप्रार्थी वकील के जवाब में भी
यही प्रारम्भिक आपत्ति है। प्रार्थी वकील इस
सम्बन्ध में कुछ भी रिमांड या कागजात के नहीं
कर पाये एवं आदिनांक तलबी भी पूर्ण नहीं
कर पाये हैं।

अतः पत्रावली में शरत का विकल्प
उपलब्ध होने के कारण आत्मनिक आवश्यकता
सिद्ध नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज
योग्य पाये जाने के कारण स्वारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुनार लेकर सम्बन्ध
से वस की जाकर दाखिले दफ्तर है।

फैसला आज दिनांक 23/07/2024 को ही सुनार
कुनाच गमा।


23/07/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आयल. जिला नागौर